उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय
(कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)
पोस्ट ऑफिस, झालरापाटन – 326 023 झालावाड़ (राजस्थान)
COLLEGE OF HORTICULTURE & FORESTRY
(Agriculture University, Kota)
Post Office Jhalarapatan- 326 023, Jhalawar (Rajasthan)

Dr. Ashutosh Mishra
DEAN

Mob: 7014073670
Email: chf@aukota.org

No. F. 11 ( )/ CHF/JWR/Gen/2025/ 165 – 174 Date: 26.07.2025

UBN-AUK2526GSOB00042
NIB-AUK2526A0040

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में कार्यालय वाहनों (बस, जीप, ट्रेक्टर, मोटर साइकिल), लकड़ी एवं लोहे का फर्नीचर, ई–वेस्ट व अन्य नकारा/ अनुपयोगी सामान जिसका आरक्षित मूल्य रूपये 9,03,956/- (अक्षरे नौ लाख तीन हजार नौ सौ छप्पन रूपये) की नीलामी के लिये सीलबन्द नीलामी आमंत्रित की जाती है। नीलामी प्रपत्र कार्यालय समय में रूपये 500/- अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ के बैंक खाते में RTGS/NEFT/IMPS/ नकद द्वारा जमा करवाकर दिनांक 28.07.2025 से 06.08.2025 को दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त कर जमा करा सकते है।

नीलामी फार्म http://sppp/rajasthan.gov.in तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://aukota.org से डाउनलोड कर भी प्राप्त कर सकते है। दिनांक 06.08.2025 को दोपहर 02.00 बजे तक नीलामी फार्म मय धरोहर राशि व आवेदन शुल्क जमा रसीद, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड में जमा करवा सकते हैं। प्राप्त सीलबन्द नीलामी पर दिनांक 07.08.2025 को सुबह 10.30 बजे मनोनीत समिति एवं उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष कार्यवाही की जावेगी। नकारा/ अनुपयोगी सामानों का अवलोकन दिनांक 04–06 अगस्त, 2025 तक महाविद्यालय के कार्यसमय (प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे) में आकर किया जा सकता है।

Amishra 26/7/25
अधिष्ठाता

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:
1. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
2. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
3. जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड़
4. डिपो मैनेजर (मैकेनिकल), बस स्टैण्ड, झालावाड़
5. कमरा नं. 345 (मिनी सचिवालय), क्षेत्रिय अधिकारी, राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, झालावाड़
6. नोडल अधिकारी, वेबसाइट/सूचना सहायक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा (नीलामी सूचना वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
7. प्रभारी केन्द्रीय भण्डार/ फार्म, उ.वा.म., झालावाड़
8. लेखाशाखा, उ.वा.म., झालावाड़
9. सूचना पट्ट, उ.वा.म., झालावाड़

Amishra
अधिष्ठाता

PDF Scanner ACE Scanner

उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

नीलामी प्रपत्र

नीलामी प्रपत्र	:	कार्यालय में नकारा/अनुपयोगी सामानों की नीलामी
नीलामी प्रपत्र शुल्क	:	रू. 500/- (प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग–अलग जमा करावें।)
नीलामी प्रपत्र प्राप्त करने का समय	:	28.07.2025 प्रातः 10.00 बजे से
नीलामी प्रपत्र जमा करने का समय	:	06.08.2025 दोपहर 02.00 बजे तक
प्राप्त सीलबन्द नीलामी खोलने का समय	:	07.08.2025 सुबह 10.30 बजे

धरोहर राशि एवं नीलामी प्रपत्र शुल्क (UTR/Reference नं. .... दिनांक......................)

नीलामी किये जाने वाले सामानों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	श्रेणी / विवरण	अनुमानित मूल्य रूपये (पुस्तक मूल्य)	धरोहर राशि	बोलीदाता की राशि	
				रूपये अंकों में	रूपये शब्दों में
1.	बस (1), जीप (1), मिनी ट्रेक्टर (1), मोटर साइकिल (1)	**4,32,000/-** (14,01,620/-)	28,050/-		
2.	लकड़ी एवं लोहे का टूटा फर्नीचर, लोहे /स्टील का अन्य सामान, टायर व अन्य सामान	**1,05,286/-** (11,39,605/-)	22,800/-		
3.	ई–वेस्ट	**3,66,670/-** (39,00,435/-)	78,010/-		

नाम एवं हस्ताक्षर बोलीदाता

नियम व शर्तें:

1. नीलामी सीलबन्द लिफाफे में ही स्वीकृत की जावेगी।
2. धरोहर राशि अंकित पुस्तक मूल्य पर 2% देय होगी।
3. धरोहर राशि उपरोक्तानुसार व नीलामी प्रपत्र शुल्क रूपये 500/- (नीलामी प्रपत्र का शुल्क अलग–अलग जमा करावें) अधिष्ठाता उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ के **बैंक खाता संख्या 686501700576 (IFSC Code: ICIC0006865)** में जमा कराने एवं जमा की रसीद नीलामी प्रपत्र के साथ संलग्न करने पर ही नीलामी फार्म स्वीकार किया जायेगा।
4. बोलीदाता निविदा में भाग लेने हेतु सीलबन्द लिफाफे के ऊपर **स्पष्ट रूप से सामान का श्रेणी एवं विवरण अंकित करें। अलग–अलग श्रेणी/ विवरण के लिए अलग–अलग आवेदन करें।**
5. बोलीदाता फर्म जी.एस.टी. रजिस्टर्ड होने पर ही नीलामी फार्म स्वीकार किया जायेगा। **फर्म को जी.एस.टी., पेन कार्ड एवं मालिक का आधार कार्ड फार्म के साथ संलग्न करना होगा। ई वेस्ट की श्रेणी में फर्म का Authorized license होना अनिवार्य है, जिसकी अनुपस्थिति में उन्हें नीलामी से बाहर कर दिया जावेगा।**
6. शर्तो में किसी प्रकार की कमी व बढ़ोतरी उपस्थित कमेटी द्वारा की जा सकती है।
7. समान जहाँ है, जैसा है, उसी हालात में नीलाम किया जावेगा। बोलीदाता/नकारा/अनुपयोगी सामानों का अवलोकन नीलामी दिवस से पूर्व कार्यालय समय में आकर कर सकते है।
8. किसी भी विवाद का न्यायालय क्षेत्र झालावाड़ होगा।

Anusha

PDF Scanner ACE Scanner

9. सफल बोलीदाता (उच्चतम बोलीदाता) जिसके नाम बोली स्वीकृत की जावेगी, को सामान की पूरी राशि उसी समय धरोहर राशि को कम करते हुए कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। सामान को उसी दिन/तय समय तक स्वयं के खर्चे पर कार्यालय समय पर उठाना होगा एवं बोली उपरान्त सामान की सुरक्षा की इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशानुसार नियमानुसार 18% GST व 2% TDS व अन्य नियमानुसार लागु कर देय होगा जो क्रेता को उच्चतम बोली राशि पर वहन करना होगा।

10. सफल बोलीदाता को नीलामी के उपरान्त वाहनो को स्क्रेप कराना होगा। इस बावत् बोलीदाता को शपथ पत्र देना होगा। इसके उपरान्त ही वाहन सुपुर्द किया जायेगा।

11. नीलामी फार्म दिनांक 06.08.2025 को दोपहर 02.00 बजे तक जमा कराना होगा एवं इसके पश्चात फार्म स्वीकार नही किये जायेगे। प्राप्त सीलबन्द नीलामी प्रपत्र 07.08.2025 को प्रातः 10.00 बजे मनोनित कमेटी द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोले जायेगे।

12. बोलीदाता फर्म द्वारा अपने बैंक खातों का विवरण अपने लेटर हेड पर मय सील प्रस्तुत करना होगा। जिससे सफलतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा करने के उपरान्त अन्य बोलीदाताओं की धरोहर राशि लौटाई जा सके।

13. नीलामी का सामान कार्यालय समय में गेटपास प्राप्त कर मुख्य गेट से ले जाना होगा।

14. केन्द्र से नीलामी के सामान के अलावा और किसी भी सामान को क्षति नही पहुँचाना है। क्षति पहुँचाने पर बोलीदाता की समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार जुर्माना देय होगा।

15. बोलीदाता को नीलामी राशि नीलामी प्रपत्र में अंको व शब्दों दोनों में अंकित करनी होगी। यदि अंको व शब्दों में अन्तर पाया जाता है तो शब्दों में अंकित राशि को सही माना जावेगा।

16. कमेटी को बोलीदाताओं की बोली राशि कम लगती है तो पार्टियों से निगोशिएसन किया जावेगा।

17. सफल बोलीदाता (उच्चतम बोलीदाता) द्वारा यदि तय समय पर सम्पूर्ण राशि जमा नही की जाती है तो धरोहर राशि जब्त कर, द्वितीयक बोलीदाता की बोली स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी। द्वितीयक बोलीदाता द्वारा भी यदि बोली राशि जमा नही की जाती है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर GF&R के तहत नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।

18. नीलामी स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कमेटी का होगा।

Anusha 26/7/25
अधिष्ठाता

मैंने सभी शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मुझे मान्य है।

हस्ताक्षर बोलीदाता...............................
नाम व पता ....
मोबाईल नं. ....